



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक- 13.05.2023

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त **शहनवाज पुत्र अफजाल नि. मौ. शेखजादगान, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर** को 01 तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना तीतरो पर मु0अ0स0 51/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभि0 को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शहनवाज पुत्र अफजाल नि. मौ. शेखजादगान, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा 12 बोर

01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

1.उ0 नि0 श्री अनिल कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

2.का0 2483 मोहित कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक- 13.05.2023

थाना तीतरों, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01
नाजायज चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में 01 अभियुक्त **गुल्फाम उर्फ गुल्लू पुत्र इकबाल उर्फ बालू नि. मौ. शेखजादगान, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर** को 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 52/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभि0 को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुल्फाम उर्फ गुल्लू पुत्र इकबाल उर्फ बालू नि. मौ. शेखजादगान, कस्बा व थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- 2.का0 2483 मोहित कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक- 13.05.2023

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में 01 अभियुक्त मुदस्सिर पुत्र शरीफ नि. ग्राम – कच्ची गढी, थाना – गढी पुख्ता, जनपद – शामली को 01 छुरी नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना तीतरो पर मु0अ0स0 53/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभि0 को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मुदस्सिर पुत्र शरीफ नि. ग्राम – कच्ची गढी, थाना – गढी पुख्ता, जनपद – शामली

बरामदगी का विवरण:-

01 छुरी नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- 2.का0 2483 मोहित कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर



दिनांक: 13-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अपराध में संलिप्त 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.05.2023 को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/23 धारा 420/467/468/471 भादवि के अभियुक्त **मोहित पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मेघ छप्पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहित उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मोहित ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैंने एक लडकी से दिनांक 20.08.2022 को कोर्ट मैरिज कल ली थी। मुझे व मेरे पिताजी को पता चला कि अंतरजातीय विवाह अनुदान योजानान्तर्गत यदि जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर के यहा आवेदन किया जाये तो हमे अनुदान की धनराशि 2.5 लाख रुपये मिल सकते है। हमे पैसो का लालच आ गया। आवेदन करने पर हमे पता चला कि मेरी पत्नी के पिताजी व माताजी की तरफ से भी एक शपथ पत्र वहा दाखिल होना है। इसके बाद ही अनुदान के पैसे मिलेगे, लेकिन मेरी पत्नी के घरवाले हमारी शादी के खिलाफ थे। इसीलिये मैंने व मेरे पिताजी महेन्द्र सिंह ने योजना बनाकर एक शपथ पत्र फर्जी तरीके से तैयार कराया तथा उस पर मेरी पत्नी के पिताजी व माताजी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उस शपथ पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर के यहाँ दाखिल कर दिया। उक्त शपथ पत्र की जाँच जब लेखपाल द्वारा की गयी तो मेरी पत्नी के पिताजी श्यामलाल ने लेखपाल को बताया कि मैंने व मेरी पत्नी ने ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं दिया है। इस शपथ पत्र पर जो हस्ताक्षर है वो मेरे व मेरी पत्नी के नहीं है। अभियुक्त ने बताया कि मुझे पैसो का लालच आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मेघछप्पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 2.उ0नि0 श्री खूब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- 3.है0का0 22 नकुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 4.है0का0 721 नवजीत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

